हिन्दुस्त

निर्यातकों को मालभाड़े पर 25 फीसदी तक सहायता

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार निर्यात माल भाड़े पर 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देगी। इसे निर्यातकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

औद्योगिक विकास व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रविवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ उन निर्यातकों को मिलेगा जो नाशवान वस्तुओं का एयर कार्गो के माध्यम से निर्यात करते हैं। निर्यातकों को वायुमार्ग से किए गए निर्यात के माल के भाड़े (जिसमें कार्गो हैंडलिंग से संबंधित अन्य व्यय भी शामिल होंगे) पर खर्च का 25 फीसदी या 100 रुपये प्रति किलो की दर से

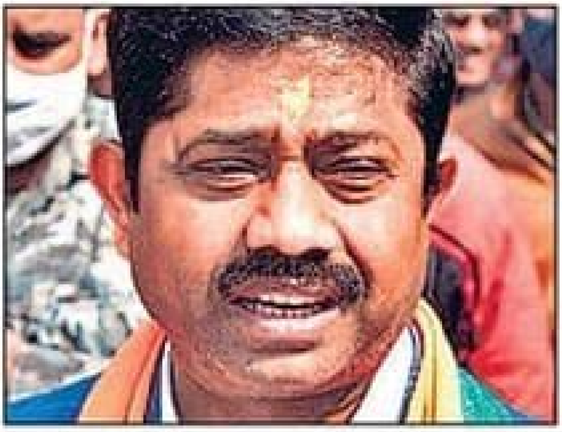

नंद गोपाल गुप्ता औद्योगिक विकास मंत्री

(जो भी कम होगा) आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच लाख रुपये तक दिया जाएगा। निर्यात उत्पाद को वायुमार्ग से विदेशों में भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अंदर दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा।